''अमरूद महोत्सव'' का लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला व कृषि मंत्री ने उद्घाटन किया

''अमरूद महोत्सव'' जैसे आयोजन के जरिए लोगों को इस फल से जुड़े लाभों के बारे में जानकारी मिलेगी : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला

सवाई माधोपुर, (निसं)। सवाई माधोपुर का अमरूद आने वाले दिनों में क्षेत्र के किसानों की जिंदगी में बेहतरी लाएगा। राज्य सरकार द्वारा जिले में अमरूद का प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाएगा, जिससे देश-विदेश में इस फल और इससे बने उत्पादों की मांग बढ़ेगी। देश में पहली बार आयोजित ''अमरूद महोत्सव'' इस दिशा में प्रयासों का पहला कदम है। इसके सुखद परिणाम जल्द ही दिखने लगेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्य के कृषि, उद्यानिकी, ग्रामीण विकास एवं आपदा प्रबन्धन मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने रविवार को दशहरा मैदान में ''अमरूद महोत्सव'' के उद्घाटन कार्यक्रम में यह बात कही। लोकसभा अध्यक्ष सवाई माधोपुर के 263वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित अमरूद महोत्सव एवं कृषि तकनीकी मेला-2026 के मुख्य अतिथि थे। कृषि, उद्यानिकी एवं ग्रामीण विकास आपदा प्रबन्धन मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा आयोजन की अध्यक्षता कर रहे थे।

सवाई माधोपुर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने अमरूद महोत्सव और कृषि तकनीक मेले का उद्घाटन किया।

बिरला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की किसानों की आमदनी बढ़ाने की सोच के अनुसार काम करते हुए राज्य सरकार कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इन्हीं प्रयासों की कड़ी में सवाई माधोपुर में भारत में पहली बार अमरूद महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश-प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से किसानों, कृषि उत्पाद व्यापारियों और कृषि यंत्र एवं तकनीक से जुड़े विशेषज्ञों को साझा मंच उपलब्ध कराया गया है, ताकि वे अपने अनुभवों को साझा कर उन्नत कृषि को अपना सकें। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि बेशक अमरूद एक सस्ता फल है, लेकिन बहुत अधिक स्वास्थ्य-वर्धक है। अमरूद महोत्सव जैसे आयोजन के जरिए लोगों को इस फल के स्वास्थ्य से जुड़े लाभों के बारे में जानकारी मिलेगी। इससे बनने वाले अचार, जूस, पल्प, मिठाई आदि भी इस मेले में प्रदर्शित किए गए है। उन्होंने कहा कि यहां अमरूद के लाभ, इसकी खेती की नई तकनीक और उन्नत किस्मों तथा प्रसंस्करण की विधियों की जानकारी का आदान प्रदान हो रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री ने महोत्सव के दौरान सवाई माधोपुर में अमरूद का प्रोसेसिंग प्लान्ट लगाने की घोषणा की है। जब किसी कृषि उत्पाद का संवर्धन होता है, तभी किसान की वास्तविक आय बढ़ती है। इस प्रकार यह आयोजन क्षेत्र के अमरूद के किसानों की जिन्दगी बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगा।

कृषि मंत्री डॉ. मीणा ने बताया कि राज्य सरकार जल्द ही सवाई माधोपुर की धरती पर 150 करोड़ रुपये की लागत से अमरूद का प्रोसेसिंग प्लान्ट स्थापित करेगी। राजस्थान में कुल 14 हजार हैक्टेयर अमरूद के बगीचों में से 11 हजार हैक्टेयर अकेले इस जिले में हैं। उन्होंने कहा कि सवाई माधोपुर का अमरूद यहीं पर खपने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार की है। डॉ. मीणा ने कहा कि राजस्थान के अमरूद के किसानों की इस फल से आमदनी सालाना करीब 600-700 करोड़ रुपये है। सवाई माधोपुर में किसानों को अपना फल बेचने के लिए दिल्ली, बड़ौदा आदि जगहों पर नहीं जाना पड़े, इसलिए प्रोसेसिंग यूनिट की सख्त आवश्यकता है। प्रोसेसिंग प्लान्ट लगने से आस-पास के जिलों के साथ ही पड़ोसी प्रदेशों के अमरूद के किसानों को भी लाभ होगा।

- **सवाई माधोपुर में 150 करोड़ रुपये की लागत से अमरूद प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाएगा : मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा**

कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आने वाले समय में सवाई माधोपुर में 600 करोड़ रुपये की लागत के विकास कार्य करवाएगी। उन्होंने कहा कि किसान कृषि यंत्रों, बागवानी, उत्पादों के प्रसंस्करण से जुड़े उद्यिमयों और वैज्ञानिकों आदि के साथ संवाद करें और यहां लगी लगभग 250 स्टॉल्स को देखकर एक दूसरे से उन्नत कृषि की तकनीकी और किस्मों की जानकारी प्राप्त करें।

कृषि एवं आपदा राहत मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि डूंगरी बांध से केवल 9 गांव विस्थापित होंगे और उन गांवों की पूरी आबादी को सुव्यवस्थित घर, बिजली, पानी सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। डॉ. मीणा ने बताया कि डूंगरी बांध इस योजना का सबसे बड़ा बांध है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने इस योजना के लिए 90 हजार करोड़ रुपये का बजट रखा है। अमरूद महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम को जिला कलैक्टर काना राम, पूर्व विधायक मानसिंह गुर्जर ने भी संबोधित किया।

बीकानेर के बज्जू में 237 मामलों में 7500 बीघा भूमि का गलत आवंटन

बीकानेर, (निसं)। सीमांत क्षेत्र बज्जू में कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन में भारी अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। राज्य सरकार की ओर से गठित कमेटी ने 342 पत्रावलियों की जांच की थी, जिनमें 237 मामलों में करीब 7500 बीघा भूमि के आवंटन में गड़बड़ियां उजागर हुई हैं। कमेटी ने सभी आवंटन खारिज होने योग्य माने हैं। इसके लिए तत्कालीन एसडीएम और एक कर्मचारी को चार्जशीट देने तैयारी की जा रही है।

जानकारी के अनुसार बज्जू में वर्ष 2021 से 2023 के बीच हुए कृषि भूमि के आवंटन में भारी गड़बड़ियां हुई। इनमें कोलायत में कपिल सरोवर के कैचमेंट एरिया और सीओ ऑफिस की जमीन भी गलत तरीके से आवंटित करने के मामले शामिल है। कांग्रेस के शासन में हुई इन गड़बडियों की शिकायत होने पर राज्य सरकार ने 28 मार्च 2025 को एडीएम सिटी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। कमेटी में उपनिवेशन विभाग के अतिरिक्त आयुक्त सतर्कता, कोषाधिकारी और जिला राजस्व लेखाकार को शामिल किया गया था। जांच के दौरान पता चला कुल 392 मामलों में भूमि आवंटन की कार्यवाही की गई थी, लेकिन 50 प्रकरण कमेटी को मिले ही नहीं, जिन्हें गायब करने की आशंका है। 34 प्रकरण कोर्ट में पेंडिंग थे। बाकी 342 प्रकरणों की जांच में 16 प्रकार की अनियमितताएं उजागर हुई हैं। सबसे बड़ा मामला बज्जू में उरमूल को आवंटित भूमि का आवंटन किसी और को करने का है। इन मामलों में तत्कालीन एसडीएम हरी सिंह शेखावत और वरिष्ठ सहायक कन्हैयालाल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की सिफारिश राजस्व विभाग से की गई है।

बताया जा रहा है कि इन गड़बडियों के पीछे रसूख वाले प्रभावशाली लोग और खनन माफिया की भूमिका होने के कारण काफी समय तक मामले दबे रहे। ऐसे लोगों ने दूसरों के नाम से जमीनें हथियाई थीं।

- **राज्य सरकार की ओर से गठित कमेटी ने 342 पत्रावलियों की जांच की थी, कमेटी ने सभी आवंटन खारिज होने योग्य माने हैं**

गौरतलब है कि इससे पहले 69 प्रकरणों में अनियमितताएं उजागर होने पर एसडीएम को 16 सीसीए की चार्जशीट मिल चुकी है। उरमूल परिसर को आवंटित भूमि में से चक 8/9 बीजेएम के मुरबा संख्या 24/14 आठ बीघा भूमि का आवंटन मनमर्जी से नोखा निवासी मांगीलाल पुत्र मोतीलाल को कर दिया गया। आवंटन के लिए इसे सलाहकार समिति के समक्ष नहीं रखा गया। परिसर में स्कूल और आवास भी बने हुए हैं। आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंसा बिना 39 लोगों को जमीन आवंटित कर दी। टीसी आवंटन के 53 मामलों में गड़बडियां मिली। 31 मामले ऐसे भी मिले हैं, जिनमें पूर्व में आवंटित टीसी भूमि के खसरा नंबरों के स्थान पर अन्य खसरा नंबर अन्य गांवों में आवंटित कर दिए गए। सीलिंग सरप्लस जमीनों के आवंटन के लिए वर्ष 1988 के लंबित आवेदनों में उपनिवेशन क्षेत्र की बारानी भूमि की कैटेगरी बदलकर 20 लोगों को आवंटित कर दी गई, जबकि 2009 से उपनिवेशन की बारानी भूमि के आवंटन पर सरकार की रोक है। भूमिहीन श्रेणी के 662 मामलों में से केवल 31 मामलों में ही आवंटन का निणर्य लेना भेदभावपूर्ण माना गया है। पूर्व में टीसी के पुख्ता आवंटन के दो मामलों में दुबारा आवेदन लेकर डबल आवंटन कर दोहरा लाभ पहुंचाया गया।

दो मामले ऐसे भी मिले हैं, जिनमें आवंटी द्वारा अपनी पूर्व में आवंटित भूमि बेचने के बाद उक्त भूमि को अन्य व्यक्ति को आवंटित बताकर बदले में दुबारा आवंटन कर दिया गया। महाजन फायरिंग रेंज के विस्थापितों को कोलायत के कैचमेंट एरिया में दे दी जमीनें उपनिवेशन विभाग की ओर से आवंटित की गई जमीनों में भी गड़बडियां उजागर हुई हैं। ऐसे करीब 28 मामले सामने आए हैं, जिनमें महाजन फायरिंग रेंज के विस्थापितों को कपिल सरोवर के कैचमेंट एरिया और जिप्सम खनन क्षेत्र में जमीनों का आवंटन कर दिया गया। हालांकि ऐसे ज्यादातर मामले पूर्व में खारिज हो चुके हैं। इंदो का बाला, मढ़ और गोलरी गांव में भूमि आवंटन के चार मामलों में रिव्यू चल रहा है।

उपनिवेशन विभाग के तत्कालीन अफसरों ने कोलायत सीओ ऑफिस को आवंटित जमीन को भी नहीं छोड़ा। इंदो का बाला में खसरा नंबर 177 की 0.18 हेक्टेयर भूमि 2015 में सीओ ऑफिस के लिए आवंटित की गई थी। पुलिस विभाग को कब्जा भी दे दिया गया। इसी भूमि को वापस 2020 में लादूराम पुत्र रावता नायक को अलॉट कर दिया गया। जब मौके का वास्तविक निरीक्षण किया गया तो पता चला कि जमीन की तरमीम ही नहीं की गई थी। इसका रिकॉर्ड अब तक दुरुस्त नहीं हो पाया है।

रमेश देव, एडीएम सिटी बीकानेर का कहना है कि कोलायत और बज्जू के भूमि आवंटन के मामलों की जांच पूरी कर रिपोर्ट राजस्व विभाग को भेज दी गई है। जो पत्रावलियां नहीं मिली उन्हें भी जांच का हिस्सा माना है। जिला कलैक्टर ने 22(3) में आवंटन खारिज करने के प्रस्ताव पेश करने के आदेश तहसीलदार को दिए हैं।

वाहन चोर गिरफ्तार, तीन वाहन बरामद

कोटा, (निसं)। कैथूनीपोल पुलिस टीम ने स्कूटर चोरी के दर्ज मामले में कार्रवाई करते हुए शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया, साथ ही पुलिस टीम ने वाहन चोर के पास से कैथूनीपोल से चुराये गये स्कूटर सहित अन्य थाना क्षेत्र से चोरी किये गये दो वाहनों को बरामद किया है।

शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि 13 जनवरी को फरियादी ने कैथूनीपोल थाने में रिपोर्ट दी। फरियादी ने रिपोर्ट में कहा कि 12 जनवरी को एक्टिवा स्कूटर से खरीदारी के लिये गया और वाहन को खड़ा करके गया था और जब वापस आया तो मौके पर स्कूटर नहीं था, जिसे कोई अज्ञात चोरी करके ले गया। शहर एसपी ने बताया कि फरियादी की रिपोर्ट पर चोरी का मामला दर्ज किया गया। मामले में आरोपी की तलाश के लिये कैथूनीपोल थानाधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित की गई। गठित टीम ने अभय कमाण्ड सेन्टर के सीसीटीवी कैमरों के फुटैज व घटनास्थल के आस-पास लगे सीसीटीवी फुटैज खंगाले। पुलिस टीम ने वाहन चोरी के मामले में सीसीटीवी फुटैज एवं मुखबीर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए बालिता रोड बापू कोलोनी निवासी अर्जुन उर्फ मोटा (40) को गिरफ्तार किया गया। शहर एसपी ने बताया कि पकड़े गये आरोपी से कैथूनीपोल क्षेत्र से चोरी किये गये स्कूटर सहित अन्य दो थाना क्षेत्र से चोरी किये गये दो वाहनों को बरामद करने की कार्रवाई की गई। पकड़े गये आरोपी से अनुसंधान जारी है।

तीन घरों से पानी की मोटरें चोरी

पाटन, (निसं)। नीमकाथाना शहर के छावनी क्षेत्र स्थित पुलिस के मोहल्ले में इन दिनों लगातार हो रही चोरियों से आमजन में भय बना हुआ है। वार्ड नंबर 27 में शनिवार रात चोरों ने एक ही रात में तीन घरों से पानी की मोटर चोरी कर ली। लोगों का कहना है कि रात्रि के समय क्षेत्र में आवारा युवक बेवजह घूमते रहते हैं, जिससे असामाजिक तत्वों की पहचान कर पाना मुश्किल हो जाता है। इसी का फायदा उठाकर चोर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। मोहल्लेवासियों का आरोप है कि रात्रिकालीन पुलिस गश्त नियमित नहीं होने के कारण चोर बेखौफ होकर चोरी कर रहे हैं। पुलिस का मोहल्ला, छावनी नीमकाथाना निवासी आरटीआई विस्ट धर्मपाल सैनी ने बताया कि लगातार हो रही चोरियों से लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यदि कोतवाली पुलिस रात्रि गश्त बढ़ाए और संदिग्ध लोगों पर नजर रखे तो चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है।

सूरजगढ़ थाना क्षेत्र में अपराधियों के ठिकानों पर दबिश दी

सूरजगढ़, (निसं)। राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) और जिला पुलिस की संयुक्त टीमों ने सक्रिय अपराधियों पर सख्ती बरतते हुए बड़ा अभियान चलाया। इस दौरान झुंझुनूं जिले के सूरजगढ़ थाना क्षेत्र में अपराधियों के ठिकानों पर एक साथ दबिश दी गई। टीम ने श्रवण भालोठिया पुत्र नेकीराम जाट, निवासी स्यालू खुर्द सुरजगढ़ के घर पर छापा मारा। वहां मौजूद श्रवण भालोठिया के अलावा उसके घर पर मौजूद तीन अन्य व्यक्तियों को डिटेन कर लिया गया।

- **एक बदमाश सहित तीन लोग डिटेन, एक अन्य फरार**

एजीटीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त टीमों ने बदमाशों को पकड़ा।

इन सभी से गहन पूछताछ की जा रही है, ताकि उनके आपराधिक नेटवर्क, पिछले कृत्यों और संभावित योजनाओं का पता लगाया जा सके। वहीं, दूसरे अपराधी नितिन पुत्र सज्जन जाट निवासी घरड़ू की ढाणी सूरजगढ़ के घर पर दबिश दी गई, लेकिन वह वहां मौजूद नहीं मिला। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है और उसे जल्द ही हिरासत में लेने के प्रयास जारी हैं। यह कार्रवाई अपराधियों में दहशत फैलाने और समाज में कानून का राज कायम करने की दिशा में पुलिस की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है। एजीटीएफ और स्थानीय पुलिस की यह संयुक्त मुहिम सक्रिय अपराधियों, गैंगस्टरों और असामाजिक तत्वों पर लगातार नकेल कसने का हिस्सा है।

चोर गिरोह का खुलासा : डूंगरपुर की सागवाड़ा थाना पुलिस ने गधा चोर गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना सहित दो आरोपियों को गुजरात से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी किए गए नौ गधे भी बरामद कर लिए हैं।

सागवाड़ा थानाधिकारी मनीष खोईवाल ने बताया कि जालोर निवासी ओबाराम रेबारी, जो वर्तमान में सागवाड़ा के प्रतापनगर में रहते हैं, उन्होंने 1 जनवरी को एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि 30 दिसंबर की रात को उनके डेरे से अज्ञात चोर नौ गधे चुराकर ले गए थे।

पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के लिए एक टीम का गठन किया। पुलिस ने मुखबिर तंत्र और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपनी जांच शुरू की। जांच के दौरान आरोपियों के गुजरात के होने की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने गुजरात निवासी संजय बंजारा और पोपट उर्फ कालिया बंजारा को हिरासत में लिया और थाने लेकर आई।

बयाना : जमीन विवाद में हिंसक झड़प, पांच घायल

एक ही परिवार के दो पक्षों में विवाद हुआ

बयाना/भरतपुर, (निसं)। बयाना थाना क्षेत्र के गांव मुआवली में रविवार सुबह जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। विवाद घरेलू ईंधन के लिए लकड़ियां रखने की जगह को लेकर शुरू हुआ, जो देखते ही देखते मारपीट और पथराव में बदल गया। झगड़े के दौरान दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर लाठी-डंडों से हमला किया, जिससे पांच लोग घायल हो गए।

पुलिस के अनुसार, निर्भय गुर्जर पुत्र भंवर और गिर्राज गुर्जर पुत्र शंकर पक्ष की महिलाओं के बीच कहासुनी के बाद विवाद बढ़ा। झगड़े में एक पक्ष से गिर्राज गुर्जर (62) तथा दूसरे पक्ष से निर्भय सिंह (54), भरत सिंह (44), निरंजन (35) और शत्रुघ्न (27) घायल हुए हैं।

सभी घायलों को बयाना उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिर्राज गुर्जर के सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। सूचना पर पुलिस अस्पताल पहुंची और घायलों से पूछताछ की। फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

चेक अनादरण के आरोपी को दोषमुक्त किया

तारानगर, (निसं)। तारानगर न्यायिक मजिस्ट्रेट अजयदीप सिंह ने चेक अनादरण के एक मामले में निर्णय पारित करते हुए तारानगर के निकटवर्ती गाँव पंडरेऊ टिब्बा निवासी गुलाबसिंह पुत्र रावताराम दोष मुक्त किया है।

गांव के ही राजेश कुमार पुत्र लालचंद गुलाबसिंह के विरुद्ध चार लाख रुपए के चेक अनादरण का मामला दर्ज करवाया था दोनों पक्षों की साक्ष्य के उपरांत न्यायालय द्वारा गुलाबसिंह को दोष मुक्त किया गया है। बचाव पक्ष ने अदालत में यह तर्क दिया कि परिवादी से आरोपी ने कोई ऋण नहीं लिया परिवादी ने चेक का दुरुपयोग कर मामला पेश किया है। अदालत ने साक्ष्य और गवाहों के बयानों को ध्यान में रखते हुए पाया कि परिवादी एक वैध ऋण के अस्तित्व को साबित करने में असफल रहा है। अदालत ने अपने फैसले में परिवादी द्वारा तथ्यों का लोप करते हुए सही तथ्य छिपाते हुए परिवाद न्यायालय में पेश किया जाना पाया। इसलिए अदालत ने अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया। गुलाबसिंह की ओर से पैरवी अधिवक्ता अनिल कुमार स्वामी तारानगर के सानिध्य में रहकर अधिवक्ता जीताराम शर्मा पंडरेऊ टिब्बा ने की।

के. के. गुप्ता के मार्गदर्शन में जोधपुर की स्वच्छता में सुधार की दिशा में ठोस पहल

उदयपुर, (कासं)। स्वच्छ भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा की गई पहल को साकार करने के लिए दिन-रात जुटे रहने वाले राजस्थान ग्रामीण मिशन के समन्वयक और डूंगरपुर नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष के. के. गुप्ता के अथक प्रयास अब सफल होते दिख रहे हैं। राजस्थान का ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर जोधपुर लंबे समय से स्वच्छता व्यवस्था को लेकर चर्चा में रहा है। बढ़ती आबादी, पर्यटन दबाव, शहरी विस्तार और सीमित संसाधनों के कारण शहर की सफाई व्यवस्था कई बार सवालों के घेरे में आई है। इसी पृष्ठभूमि में जोधपुर की स्वच्छता को सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाने के लिए राजस्थान ग्रामीण मिशन के समन्वयक और डूंगरपुर नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष के.के. गुप्ता से ली जा रही सलाह एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में सामने आई है। इस संबंध में तैयार की गई विस्तृत प्रगति रिपोर्ट हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट में प्रस्तुत की गई, जिसे न्यायालय ने गंभीरता से संज्ञान में लिया।

स्वच्छता जैसे जनहित से जुडे मुद्दों पर राजस्थान हाईकोर्ट की भूमिका समय-समय पर सक्रिय रही है। जोधपुर शहर की सफाई व्यवस्था, कचरा प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुडे मामलों में न्यायालय ने पहले भी नगर निगम और राज्य सरकार को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में, स्वच्छता विशेषज्ञ के.के. गुप्ता की सलाह पर चल रही स्वच्छता सुधार प्रक्रिया की रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी गई है। यह रिपोर्ट न केवल अब तक की प्रगति को दर्शाती है, बल्कि भविष्य की कार्ययोजना का भी खाका प्रस्तुत करती है। जोधपुर एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां मेहरानगढ़ किला, जसवंत थड़ा, उम्मेद भवन जैसे ऐतिहासिक स्थल देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। रिपोर्ट में बताया कि इन पर्यटन स्थलों, बाजार क्षेत्रों और प्रमुख चौराहों पर विशेष सफाई व्यवस्था लागू की गई है। नियमित सफाई, कचरा पात्रों की पर्याप्त व्यवस्था और सौंदर्यीकरण के माध्यम से शहर को स्वच्छ और आकर्षक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। स्वच्छता को केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी न मानते हुए जनभागीदारी को भी महत्वपूर्ण माना गया है। के.के. गुप्ता की सलाह पर नगर निगम द्वारा नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। स्कूलों, कॉलेजों, सामाजिक संगठनों और व्यापार मंडलों को इसमें शामिल किया गया है। रिपोर्ट में कहा है कि जब तक आमजन स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी नहीं मानेगा, तब तक स्थायी सुधार संभव नहीं है।

रिपोर्ट में सफाईकर्मियों की भूमिका को भी प्रमुखता से रेखांकित किया गया है। विशेषज्ञ सलाह के अनुसार, सफाईकर्मियों को आधुनिक उपकरणों के उपयोग, स्वास्थ्य सुरक्षा और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए नियमित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्वच्छता व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि नागरिकों की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए निगरानी प्रणाली विकसित की गई है। इससे न केवल प्रशासन पर भरोसा बढ़ेगा, बल्कि स्वच्छता संबंधी समस्याओं का त्वरित समाधान भी संभव होगा।

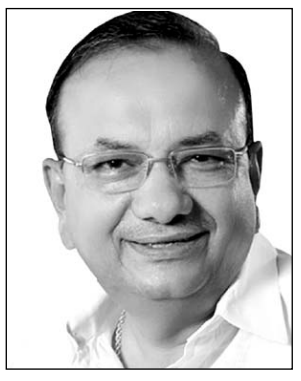

के.के. गुप्ता

- **के.के. गुप्ता द्वारा तैयार की गई विस्तृत प्रगति रिपोर्ट हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट में प्रस्तुत की गई, जिसे न्यायालय ने गंभीरता से संज्ञान में लिया**
- **हाईकोर्ट ने प्रस्तुत रिपोर्ट पर संतोष व्यक्त करते हुए यह स्पष्ट किया कि स्वच्छता सुधार केवल कागजी नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर दिखाई देना चाहिए**
- **न्यायालय ने नगर निगम को निर्देश दिए कि विशेषज्ञ सलाह के अनुरूप तय लक्ष्यों की नियमित समीक्षा की जाए और अगली सुनवाई में अद्यतन प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए**

हाईकोर्ट ने प्रस्तुत रिपोर्ट पर संतोष व्यक्त करते हुए यह स्पष्ट किया कि स्वच्छता सुधार केवल कागजी नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर दिखाई देना चाहिए। न्यायालय ने नगर निगम को निर्देश दिए कि विशेषज्ञ सलाह के अनुरूप तय लक्ष्यों की नियमित समीक्षा की जाए और अगली सुनवाई में अद्यतन प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। अदालत ने यह भी कहा कि स्वच्छता से जुड़े प्रयास सतत और दीर्घकालिक होने चाहिए, न कि केवल किसी विशेष अवधि तक सीमित।

जोधपुर की स्वच्छता को लेकर हाईकोर्ट में पेश की गई यह रिपोर्ट केवल एक औपचारिक दस्तावेज नहीं, बल्कि शहर के भविष्य की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण कदम है। इधर जोधपुर शहर की बिगड़ती सफाई व्यवस्था और कचरा प्रबंधन को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट का सख्त रुख जारी है।

इसी से जुड़े मामले में राज्य सरकार और नगर निगम ने कोर्ट को बताया है कि वे शहर को साफ रखने के लिए डूंगरपुर मॉडल के सूत्रधार के.के. गुप्ता की मदद ले रहे हैं। जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस चंद्र शेखर शर्मा की खंडपीठ ने गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई की। सरकार की ओर से कोर्ट को आश्वस्त किया गया है कि शहर से गंदगी और मलबा हटाने के लिए एक ठोस योजना तैयार की जा रही है। कोर्ट ने सरकार के आग्रह पर प्रगति रिपोर्ट पेश करने के लिए समय देते हुए अगली सुनवाई तीन फरवरी को तय की है।

एक दर्जन अवैध आरा मशीनें सीज़, वन माफिया में हड़कंप

नदबई के अंतर्गत संचालित आरा मशीनों को वन विभाग की टीम ने सीज़ किया।

हलैना/भरतपुर, (निसं)। उपवन संरक्षक प्रमोद कुमार धाकड़ के निर्देशन में एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी के नेतृत्व में रेंजर नदबई के अंतर्गत संचालित आरा मशीनों की जांच-पड़ताल की गई। जांच के दौरान अवैध रूप से संचालित पाई गई आरा मशीनों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें सीज किया गया। इस कार्रवाई के दौरान हलैना क्षेत्र में नत्थन पुत्र हरभान गुर्जर निवासी झालटाला, शिवराम पुत्र सियाराम गुर्जर निवासी झालाटाला, राजेंद्र पुत्र केशव सिंह लुहार निवासी वेवर, विष्णु पुत्र राम खिलाड़ी जांगिड़ निवासी वेवर, चंद्रभान जाट निवासी जहांपुर तथा मानसिंह माली निवासी हलैना की अवैध आरा मशीनों को सीज किया गया।

वहीं नदबई क्षेत्र में सुरेश नाई निवासी नदबई, प्रहलाद लुहार निवासी लुहासा, दीवान जांगिड़ निवासी नदबई, करण जांगिड़ निवासी नदबई, परभाती जांगिड़ निवासी बैलारा एवं बाबूलाल जांगिड़ निवासी अरौदा की अवैध आरा मशीनों पर भी कार्रवाई की गई। कुल मिलाकर एक दर्जन अवैध आरा मशीनों को सीज किया गया तथा मशीनों पर पड़ी लकड़ियों को भी जब्त किया गया। इस कार्रवाई से अवैध रूप से आरा मशीन संचालन करने वालों में हड़कंप मच गया। कार्रवाई के दौरान सुमित सिंह वनपाल (नाका डहरा मोड), रेनू वाला वनपाल (नाका खेड़ी मोड़), हेमलता वनपाल (नाका हलैना), ओमेंद्र शर्मा, आकाश शर्मा, धर्मयुग, हुकम सिंह (वृक्ष पालक), रमन (वृक्ष पालक), लाखन सिंह (वाहन चालक) सहित वन विभाग का स्टाफ मौजूद रहा।